वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 21.01.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ",अमर उजाला ,दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, ज्ञानशिखा टाइम्स,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 21.01.2025

वीडीए ने तीन अवैध निर्माण सील किए

वाराणसी। वीडीए की ओर से सोमवार को तीन अवैध निर्माण सील किए गए। कोतवाली वार्ड के नखास, महामृत्युंजय मंदिर के सामने मध्यमेश्वर में बटुक यादव की ओर से अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इसी प्रकार चेतगंज वार्ड के विनायक प्लाजा से सटे स्कैचर्स शोरूम मलदहिया में अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इन तीनों अवैध निर्माण को जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति, अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश, रोहित कुमार की मौजूदगी में सील किया गया। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 21.01.2025

तैयारी वीडीए बोर्ड ने संपत्तियों को अलोकप्रिय करार दिया, अब डीएम सर्किल रेट के हिसाब से बिक सकेंगी

सस्ते में बिक सकेंगी 62 आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की 62 आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां सस्ते में बिक सकेंगी। वीडीए बोर्ड ने इन संपत्तियों को अलोकप्रिय करार दे दिया है। बोर्ड ने कहा है कि संपत्तियां डीएम सर्किल रेट के हिसाब से बेची जा सकेंगी। पिछले चार साल से संपत्तियों को बाजार दर से बेचने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी।

वीडीए की 62 संपत्तियां ऐसी हैं, जिन्हें ई ऑक्शन के जरिये चार साल नीलाम करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन, लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। आकाशदीप, अशोक विहार, रामनगर, लालपुर, बड़ी गैबी, पांडेयपुर और कोनिया स्थित आवासीय, व्यावसायिक क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। वीडीए के सूत्रों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी की मदद से अलोकप्रिय संपत्तियों का मूल्य निर्धारित किया जा रहा है। हर संपत्ति का मूल्य वही रहेगा, जो उस क्षेत्र का सर्किल रेट होगा। सभी संपत्तियां जहां हैं, जैसे हैं के सिद्धांत पर बेची जाएंगी। सहकारी आवास समितियों को खरीददारी का मौका नहीं मिलेगा। किरायेदारों को संपत्ति खरीदने के लिए वीडीए नोटिस देगा। नोटिस देने के 90 दिन के भीतर उसकी इच्छा ली जाएगी। यदि यह अवधि बीत जाएगी तो उसका विकल्प स्वतः समाप्त हो जाएगा। संपत्ति वापस लेने के बाद वीडीए नियमानुसार निर्माण करा सकेगा।

*"कुछ पुरानी संपत्तियां हैं, जिन्हें बेचने के लिए कई बार ऑक्शन किया गया, लेकिन लोगों की रुचि न होने के कारण ये बिक नहीं पाती हैं। इसे अलोकप्रिय संपत्ति के दायरे में रखा जाता है। समय के साथ रेट कम करने पर संपत्तियां बिक जाती हैं। - **परमानंद यादव, संयुक्त सचिव, वीडीए।***

रोडवेज, एयरपोर्ट और रेलवे प्रशासन से यात्री कर वसूलेगा नगर निगम

वाराणसी। नगर निगम ने रोडवेज, रेलवे और एयरपोर्ट प्रशासन से यात्री कर वसूलने का खाका तैयार किया है। इसका प्रस्ताव भी बनाकर शासन को भेजा है। नगर निगम प्रशासन के मुताबिक, परिवहन से जुड़े विभाग पहले से कर वसूलते हैं, लेकिन इसका भुगतान नहीं करते हैं। नगर निगम के मुताबिक वाराणसी में रोजाना 2.5 लाख से तीन लाख यात्री, पर्यटक व श्रद्धालु आते हैं। सब निगम की सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से यात्री कर वसूलने का खाका तैयार किया। यह व्यवस्था प्रभावी हुई तो निगम की रोजाना की आय 1.25 लाख से 1.50 लाख रुपये बढ़ जाएगी। महीने में यह आय 37.5 लाख से 45 लाख रुपये तक होगी। प्रति व्यक्ति के हिसाब से 50 पैसे यात्री कर वसूलने की तैयारी है। ब्यूरो

"यात्री कर वसूलने के लिए शासन स्तर से पत्राचार किया गया है। मंजूरी मिल गई तो होने वाली आय से यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। - **राकेश कुमार सोनकर, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी**

दैनिक जागरण—दि0 21.01.2025

तीन अवैध निर्माण किए गए सील

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण की टीम ने सोमवार को महामृत्युंजय मंदिर के सामने अवैध निर्माण सील कर दिए। वीडीए जोन-3 की प्रवर्तन टीम द्वारा तीन अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई। इसमें वार्ड कोतवाली के अंतर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराए जा रहे नखास मोहल्ले में महामृत्युंजय मंदिर के सामने बन रहे भवन का नक्शा स्वीकृत नहीं था। इसी तरह मध्यमेश्वर के आदर्श कन्या इंटर कालेज के सामने बटुक यादव तथा चेतगंज में विशाल गुप्ता, शरद गुप्ता व मौसम गुप्ता द्वारा बनाए जा रहे स्कैचर्स शोरूम में अवैध निर्माण कराया जा रहा था। सभी को सील किया गया।

हिन्दुस्तान—दि0 21.01.2025

थाने से नहीं होगी जमानत, सीजेएम कोर्ट में जाना होगा

अवैध निर्माण अब संज्ञेय अपराध, होगा मुकदमा

सख्ती

- भवन निर्माण अधिनियम की धारा 26 और 27 में होगी कार्रवाई
- एकमुश्त 50000 जुर्माना, काम होने पर रोज ढाई हजार देने होंगे

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए प्रशासन अब अवैध निर्माण को संज्ञेय अपराध के रूप में लेगा। इस पर सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराएगा। साथ ही भवन स्वामी से एकमुश्त 50 हजार रुपये जुर्माना लेकर जब तक निर्माण नहीं रोका जाता, प्रतिदिन ढाई हजार रुपये वसूलेगा। अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान के बाद भी अंकुश न लगने के कारण उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 एवं 27 के तहत प्राधिकरण के अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा।

भवन स्वामी पर इस धारा में मुकदमा दर्ज होने के कारण अब थाने से जमानत नहीं होगी और उनको सीजीएम कोर्ट ही जाना होगा। इन धाराओं में अवैध निर्माण को आपराधिक कृत्य मानते हुए वीडीए कार्यवाही करेगा। अब तक अवैध निर्माण को सील करके वीडीए संबंधित थानों की निगरानी में सौंप देता है। लेकिन ऐसे तमाम उदाहरण मिले हैं जिनमें पुलिस ही सुविधा शुल्क लेकर अवैध निर्माण कराती है। मुकदमा होने पर थाने से आसानी से जमानत भी मिल जाती है।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि अवैध निर्माण पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई होगी। धारा 26 (1) में सीजीएम कोर्ट में केस दर्ज कराया जाएगा।

नक्शे का सही उपयोग न होना भी अपराध: आवासीय नक्शा पास कराकर वाणिज्यिक गतिविधियां करने पर धारा 26 (2) में एकमुश्त 25 हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा। गतिविधि बंद होने तक या नक्शे में संशोधन तक रोज 12500 रुपये जुर्माना लगेगा।

नदेसर में चार दुकानें सील, विरोध भी हुआ

वाराणसी। नगर निगम ने वरुणापार जोन में सोमवार को गृहकर के बकाएदारों के खिलाफ अभियान चलाया। दो मकानों में बनी चार दुकानें सील कर दी गईं। जब टीम छह मकानों की कुर्की करने पहुंची तो पांच भवन स्वामियों ने कुल बकाए का कुछ हिस्सा जमा किया। एक भवन की कुर्की की गई। भवन स्वामियों पर 39 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपये बकाया था। नदेसर में किराएदारों ने सीलिंग का विरोध किया। लेकिन प्रवर्तन दल के हस्तक्षेप के बाद लोग पीछे हटे। सीटीओ राकेश सोनकर के नेतृत्व में टीम पहुंची थी। कर अधीक्षक दिलशाद हिदायत, राजस्व निरीक्षक सत्येंद्र विश्वकर्मा मौजूद रहे।

वीडीए ने तीन अवैध निर्माण सील किए

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने सोमवार को तीन अवैध निर्माण सील किए। कोतवाली वार्ड में नखाश मोहल्ले में अवैध निर्माण सील किया गया। वहीं महामृत्युंजय महादेव मंदिर के सामने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण को सील किया गया। चेतगंज वार्ड में मलदहिया स्थित विनायक प्लाजा से सटे भवन में अवैध निर्माण को सील किया गया। भवन स्वामी ने फुटवियर कंपनी को किराए पर स्थान दिया था। इस दौरान जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति, जेई रविन्द्र प्रकाश, रोहित कुमार मौजूद रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 21.01.2025

जोन-3 की प्रवर्तन टीम द्वारा कुल 03 अवैध निर्माणों के विरूद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-कोतवाली के अन्तर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराए नखाश मुहल्ले में के0 63/44, महामृत्युंजय मंदिर के सामने भवन स0 के0 53/20 मध्यमेश्वर वाराणसी आर्दश कन्या इन्टर कालेज के सामने श्री बटुक यादव द्वारा तथा वार्ड-चेतगंज के अंतर्गत श्री विशाल गुप्ता, श्री शरद गुप्ता व श्री मौसम गुप्ता पुत्र श्री हीरालाल गुप्ता द्वारा विनायक प्लाजा से सटे पूर्व दिशा में, स्कैचर्स शो रूम मलदहिया में अवैध निर्माण कराया जा रहा था , जिसे आज दिनांक 20/01/2025 को सील किया गया द्य मौके पर जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति एवं अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश, रोहित कुमार उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।